



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 11.12.2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही!!

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 14.180 किलो अवैध गाँजा (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 01 लाख 60 हजार रुपये) बरमाद

अवगत कराना है कि श्रीमानपुलिसउपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा”-“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है। व शासन द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.12.2025 को गस्त के दौरान थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त पप्पु सहानी पुत्र संकु सहानी निवासी कंसी सिमरी थाना सिमरी जनपद दरभंगा (बिहार) को ढमौला नदी पुल के पास नया गांव की तरफ बाईपास रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 14.180 किलो अवैध गाँजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 देहात पर मु0अ0स0 647/25 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

पप्पु सहानी पुत्र संकु सहानी निवासी कंसी सिमरी थाना सिमरी जनपद दरभंगा बिहार

विवरण बरामदगी:-

➤ 14.180 किलो अवैध गाँजा (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 01 लाख 60 हजार रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 संजय राणा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1211 मेहराज अली थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 526 सोवर ताज थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 2106 लोकेन्द्र सिंह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्लाट से समरसेबिल चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार व चोरी किया समर सेबिल व एक हथडी , एक आरी बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 11.12.2025 को वादिया श्रीमती निशा पत्नी राजू निवासी टपरी अड्डा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के प्लाट से समर सिबल चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 647/25 धारा 303(2) बीएनएस पजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर-द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में समर सिबल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 शातिर चोर/ अभियुक्त साहिब पुत्र इरफान निवासी हजूरपीर चोक शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को एलस्ट्रोम रेलवे यार्ड के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये 01 समर सेबिल, 01 हथोडा व 01 आरी बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

साहिब पुत्र इरफान निवासी हजूरपीर चोक शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 समर सेबिल

01 हथोडा बरामद

01 आरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. का0 2098 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2440 हरकेश थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 2300 पीतम सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 2326 हिम्मत सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक 11.12.2025

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा 2.0”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली **01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त**
गिरफ्तार, कब्जे से **25 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 5,00,000/- रुपये)** बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा 2.0” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा 2.0”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10/12/25 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त संजीला उर्फ सलमे उर्फ बाढन पत्नि इमरान निवासी ग्राम मोहनपुरा उर्फ मैनपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को कोठडा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 593/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त संजीला उर्फ सलमे उर्फ बाढन उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। अभियुक्त संजीला उपरोक्त थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 303/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 444/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट की वांछित चल रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संजीला उर्फ सलमे उर्फ बाढन पत्नी इमरान नि0 ग्राम मोहनपुरा उर्फ मैनपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 25 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 593/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 444/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 303/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 132/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 134/22 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० आदित्य भाटी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० अशोक कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. म०उ०नि० वर्षा कुशवाह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. म०हे०का० 1179 प्रीति थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 11-12-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.03.2020 को को वादी निवासी बृहमपुरी कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त गौरव पुत्र लाखन सिंह नि0 टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा बदनियति से छेड़छाड़ व वादी के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0स0-155/20 धारा 323,354(क), 452,506 भादवि व 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1203/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 11.12.2025 को अभियुक्त गौरव पुत्र लाखन सिंह निवासी टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-155/20 धारा 323,354(क), 452,506 भादवि व 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती चंचल चौहान

विवेचक-उ0नि0 श्री संजीव कुमार

पैरोकार-का0 929 अंकित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.12.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान एक नफर वारंटी अभियुक्त अनवार पुत्र शौकत निवासी ग्राम चकसराय भारती थाना को0 देहात जपनद सहारनपुर वाद संख्या 3463/24 मु0अ0स0 115/23 धारा 420/406 भा0द0वि0 चालानी थाना को0 देहात जपनद सहारनपुर को बेहट रोड रसूलपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनवार पुत्र शौकत निवासी ग्राम चकसराय भारती थाना कोतवाली देहात जपनद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडना थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. का0 1487 जयकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1716 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 03

अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 04/10/2025 को वादी श्री आशीष कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द निवासी ग्राम मनानी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गण द्वारा वादी की बहन आकाँशा उर्फ अल्का को दहेज के लिए प्रताडित करना दहेज की माँग पूरी न होने पर वादी की बहन की जलाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 258/25 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किया गया। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11/12/2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित वांछित अभियुक्तगण 1. संजय पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 2. मुकुल पुत्र संजय निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 3. तारावती पत्नी संजय निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को बस अड्डा चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. संजय पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मुकुल पुत्र संजय निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. तारावती पत्नी संजय निवासी ग्राम नल्हेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

अभियुक्त संजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 113/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 186/15 धारा 135 विधुत अधिनियम थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 252/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 302/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 85/16 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 56/18 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 379/18 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 380/18 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 471/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 514/19 धारा 304-B, 307, 323, 436, 498-A, 506 भादवि व 3/4 डीपीएक्ट थाना चिलकाना
11. मु0अ0सं0 49/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 258/25 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त मुकुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 514/19 धारा 304-B, 307, 323, 436, 498-A, 506 भादवि व 3/4 डीपीएक्ट थाना चिलकाना
2. मु0अ0सं0 258/25 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्ता तारावती उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 514/19 धारा 304-B, 307, 323, 436, 498-A, 506 भादवि व 3/4 डीपीएक्ट थाना चिलकाना
2. मु0अ0सं0 258/25 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- 1- थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 3- का0 2026 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 4- का0 2534 राजीव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के अपराधो मे संलिप्त 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से, 04 किलोग्राम ताँबे के तार, 800 ग्राम महिलाओ के बाल व 04 छत के पंखे 15,000/- रुपये तथा घटना मे प्रयुक्त 01 कार व 05 चाकू बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.08.2025 को कुछ अज्ञात चोर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम अम्बेहटा चांद से पंखे चोरी के सम्बन्ध मे थाना बडगाँव पर दिनांक 25.08.2025 मु0अ0सं0 176/25 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दिनांक 10.09.2025 को अज्ञात चोर द्वारा ग्राम महेशपुर से बुलेट मोटर साईकिल पर बंधे महिलाओ के 18 किलोग्राम बाल चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 194/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 06/07.11.25 की रात्री में कुछ अज्ञात चोरो द्वारा मित्तल पशु आहार की दुकान कस्बा बडगाँव से दो बैटरे, एक इन्वर्टर तथा एक बच्चे की छोटी साईकिल चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 250/25 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दिनांक 10.12.2025 को कस्बा बडगाँव मे कबाडी की दुकान से ताँबा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम आबिद आदि पंजीकृत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद मे अपराध नियन्त्रण हेतु चोरी व लूट आदि की घटनाओ की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं। अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 11.12.2025 को 05 अभियुक्तगण 1- आबिद पुत्र महाराज निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर 2- फरमान पुत्र ताहिर निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर 3- इकबाल पुत्र इन्तजार हुसैन निवासी मौ0 महल कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर 4- इमरान पुत्र अय्यूब निवासी मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर 5- रहबर पुत्र अलीमिया निवासी मौ0 चाहमंजली कोट कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर को चौकी मौरा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 800 ग्राम महिलाओ के बाल, 04 किलोग्राम ताँबा, 04 छत के पंखे व 15,000/- रुपये नगद, 01 कार जैन स्टील्लो व 05 नाजायज चाकू बरामद हुए। अभियुक्तगण से बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगो मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा बरामद चाकूओ के आधार पर थाना बडगाँव पर क्रमशः मु0अ0सं0 276/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आबिद, मु0अ0सं0 277/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम फरमान, मु0अ0सं0 278/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम इकबाल, मु0अ0सं0 279/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम इमरान, मु0अ0सं0 280/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रहबर पंजीकृत किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. आबिद पुत्र महाराज निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर
2. फरमान पुत्र ताहिर निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर
3. इकबाल पुत्र इन्तजार हुसैन निवासी मौ0 महल कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर
4. इमरान पुत्र अय्यूब निवासी मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर
5. रहबर पुत्र अलीमिया निवासी मौ0 चाहमंजली कोट कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर सभी ने एक स्वर मे बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम अम्बेहटा चांद में कोई चौकीदार नहीं रहता है तो हम पांचो ने मिलकर मौके का फायदा उठाकर अब से करीब 04 माह पहले रात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम अम्बेहटा चांद से कुछ पंखे चोरी किये थे ये पंखे भी उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की चोरी के पंखे थे तथा बरामद बाल करीब 03 माह पहले ग्राम महेशपुर से एक बुलेट मोटर साईकिल से हम पांचो ने ही चोरी किये थे चोरी किये करीब 17 किलो बालो को हमने ऐसे ही आने जाने वाली फेरी वाली कबाडियो को बेच दिया बचे हुए बालो को भी आज बेचने जा रहे थे । तांबे के बारे मे पूछताछ पर बताया कि कल दिनांक 10.12.2025 को सुबह के समय आदर्श इन्टर कालेज के पास से कबाडी की दुकान के बाहर से हम पांचो ने मिलकर ही तांबा चोरी किया था तांबा चोरी करते हुए दुकान के मालिक ने हमे देख लिया था हम सभी चकमा देकर उक्त कार से भाग गये थे । बरामद रूपयो के बारे मे पूछा तो बताया कि करीब एक माह पहले पशु आहार की दुकान बडगांव से दो बैटरे, एक इन्वर्टर तथा एक छोटी साईकिल भी हम पांचो ने ही मिलकर चोरी की थी जिनको हमने ऐसे ही आने जाने वाले कबाडियो को बेच दिया था जो पैसे मिले थे उनको आपस मे बांट लिया था जो हमने खर्च नहीं किये थे तथा हमने इसी कार से ही सारी चोरी की है।

अभियुक्त आबिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 176/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 194/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 250/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 5- मु0अ0सं0 276/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त फरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 176/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 194/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 250/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 5- मु0अ0सं0 277/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त इकबाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 176/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 194/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 250/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 5- मु0अ0सं0 278/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त इमरान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 176/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 194/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 250/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 5- मु0अ0सं0 279/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त रहबर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 176/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 194/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 250/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जिला सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 5- मु0अ0सं0 280/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 800 ग्राम बाल सम्बन्धित मु0अ0सं0 194/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस
- 04 छत के पंखे (सम्बन्धित मु0अ0सं0 176/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस)
- 04 किलोग्राम तांबा (सम्बन्धित मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस)
- 15,000/- हजार रुपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 250/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस)
- 05 नाजायज चाकू (सभी अभियुक्तगण से एक – एक)
- एक कार स्टील्लो UK07AD2051, चैसिस नं0 MA3EMD1S00248884 तथा इन्जन नं0 K10BN4019125 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

- 1- प्र0नि0 श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 3- उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 4- हे0कां0 843 विवेक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 5- कां0 1569 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 6- कां0 96 विक्रान्त थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 7- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक 11.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर साइबर टीम द्वारा आनलाइन साइबर ठगी के शिकार हुए पीडिता के खाते
मे शत-प्रतिशत 35,612/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 27.09.2025 को आवेदिका वंशिका अरोरा पुत्री श्री पंकज अरोरा निवासी माधो प्रसाद गली गुरुद्वारा रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका के क्रेडिट कार्ड से **35,612/- रुपये** धोखाधड़ी करके साइबर ठगी के सम्बन्ध में दिनांक 11.10.2025 को थाना कुतुबशेर पर साइबर कम्प्लैन्ट नम्बर 23110250159724 प्राप्त हुयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उक्त शिकायत में विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी धनराशि 35612/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडिता वंशिका उपरोक्त के खाते में धनराशि वापस करायी गयी है। पीडिता वंशिका उपरोक्त के पिता श्री पंकज अरोरा द्वारा थाना साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साइबर टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. कम्प0आप0 ग्रेड-बी अमित राजौरा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. हैड का0 886 रीतू ढाका थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

Suggestion - किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे व भेजे गये लिंक न खोले, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर **साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930** या **WWW.CYBERCRIME.GOV.IN** पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये तथा साइबर अपराध होने पर **थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर के सीयूजी मो0न0- 7839876635 व साइबर सैल के सीयूजी नम्बर 7417754148 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त करें।**



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.12.2025

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करी/बिक्री की रोकथाम एवं नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.12.25 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त सलीम पुत्र सगीर नि0 मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को मधुसूदन फैक्ट्री से करीब 200 मी0 दिल्ली सहारनपुर हाईवे की ओर बाग में से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सलीम उपरोक्त के कब्जे से 22 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 318/25 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलीम पुत्र सगीर नि0 मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

22 पच्चे देशी शराब यूपी मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 नवीन कुमार सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 नवीन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 823 नीरज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 1725 प्रदीप थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा 315

बोर बरामद एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछितवारण्टी अपराधियों/ की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.12.25 मे चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त जाहिद पुत्र तहसीन नि० मौ० शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को अनंतमऊ की तरफ पटाखा फैक्ट्री से 400 मी० आगे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जाहिद उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु०अ०स० 320/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जाहिद पुत्र तहसीन नि० मौ० शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त जाहिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स०- 024/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०स०- 796/18 धारा 136 विद्धुत अधि० चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०स०- 370/18 धारा 395/412 भादवि चालानी थाना नागल जनपद सहारनपुर
4. मु०अ०स०- 03/19 धारा 307 भादवि व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधि० व 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि० चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. मु०अ०स०- 034/19 धारा 136/137 विद्धुत अधि० चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. मु०अ०स०- 126/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. मु०अ०स०- 320/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है०का० 205 विपिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता , सहारनपुर द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 01 चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछितवारण्टी अपराधियों/ की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.12.25 मे चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त अर्जुन उर्फ बन्टी पुत्र तेलूराम मौचन्डी चौक शैखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को नानौता देवबंद रोड कुतुबपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अर्जुन उर्फ बन्टी उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 319/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन उर्फ बन्टी पुत्र तेलूराम मौ चन्डी चौक शैखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अर्जुन उर्फ बन्टी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0- 192/18 धारा 13 जी एक्ट चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 2.मु0अ0सं0- 102/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 3.मु0अ0सं0- 268/22 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 4.मु0अ0सं0- 269/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 5.मु0अ0सं0- 052/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 6.मु0अ0सं0- 293/24 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 7.मु0अ0सं0- 319/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 2.है0का0 1315 राहुल यादव थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 23 पच्चे

अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.12.25 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त शमसाद पुत्र नसीर नि० मौ० अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को सल्फर रोड पर शमशानघाट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शमसाद उपरोक्त के कब्जे से 23 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु०अ०सं० 317/25 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शमसाद पुत्र नसीर नि० मौ० अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०- 01/2025 धारा 13 जी अधि० थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 317/25 धारा 60 आबकारी अधि० थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

23 पच्चे देशी शराब यूपी मार्क

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० नवीन कुमार सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है०का० 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है०का० 1315 राहुल यादव थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-



□ थाना बड़गांव, जनपद सहारनपुर — मिशन शक्ति विशेष अभियान / साइबर जागरूकता कार्यक्रम

थाना बड़गांव क्षेत्र में हे०क० नरेंद्र राठी, महिला आरक्षी संगीता तथा महिला कांस्टेबल प्रीति द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

□ जागरूकता कार्यक्रम में दी गई मुख्य जानकारियाँ

✓ □ डिजिटल अरेस्टिंग फ्रॉड से बचने के तरीके

✓ □ साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम के उदाहरण और सुरक्षा उपाय

✓ □ महिलाओं का सशक्तिकरण, अधिकार, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण

✓ □ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी:

विधवा पेंशन

मुख्यमंत्री सुमंगला योजना

बाल कल्याण कार्यक्रम

✓ □ बच्चों हेतु चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों की जानकारी

✓ □ नए कानूनों (BNS/BNSA/BSA) की जानकारी

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

□ 108 – एंबुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

□ ♀ □ क्षेत्र में सुरक्षा गतिविधियाँ

बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग

मिशन शक्ति संबंधी पेम्फलेट वितरित कर जागरूकता बढ़ाई गई

महिलाओं से उनकी समस्याएँ पूछकर उन्हें सुरक्षा उपाय बताये गए



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-



□ थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर — महिला सशक्तिकरण अभियान (मिशन शक्ति फेज 5.0) एवं

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान

थाना बिहारीगढ़ की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के स्कूलों, बैंकों, बाजारों एवं ग्रामों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु विशेष महिला चौपाल का आयोजन किया गया।

इस दौरान उपनिरीक्षक अक्षिता सिंह, महिला आरक्षी अंजू एवं होमगार्ड संदीप द्वारा उपस्थित महिलाओं, छात्राओं एवं ग्रामीणों को विभिन्न सुरक्षा व जागरूकता संबंधी जानकारीयों प्रदान की गईं।

□ महिला चौपाल में दी गई मुख्य जानकारी

- ✓ □ महिला सुरक्षा और अधिकार
- ✓ □ मिशन शक्ति फेज 5.0 के उद्देश्य
- ✓ □ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत ऑनलाइन सुरक्षा उपाय
- ✓ □ महिलाओं और बालिकाओं से उनकी समस्याएँ पूछना
- ✓ □ बाल मजदूरी न कराने की अपील
- ✓ □ गुड टच – बैड टच की जानकारी

□ □ □ सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

विधवा पेंशन योजना

मुख्यमंत्री सुमंगला योजना

बाल कल्याण योजनाएँ

□ साइबर सुरक्षा जागरूकता

महिलाओं व ग्रामीणों को निम्न साइबर अपराधों से बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई—डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड साइबर ठगी / बैंकिंग फ्रॉड फ्रॉड कॉल अनचाहे व संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना सोशल मीडिया सुरक्षा

OTP शेयर न करना

- महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर
- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-



□ थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर — महिला सशक्तिकरण अभियान (मिशन शक्ति फेज 5.0 / राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह)

मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत एंटी रोमियो टीम, थाना नकुड़ द्वारा क्षेत्र में महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में महिला उपनिरीक्षक अर्चना, महिला कांस्टेबल चंचल चौहान, एवं कांस्टेबल शालिनी द्वारा कस्बा नकुड़ के जनक बाजार, बस स्टैंड, तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहुँचकर महिलाओं व बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

अभियान की मुख्य गतिविधियाँ

महिलाओं व छात्राओं से उनकी समस्याएँ पूछी गईं

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की चेकिंग

कस्बे के विभिन्न विद्यालयों पर भ्रमण कर सुरक्षा संबंधी निरीक्षण

□□□ महिलाओं व बालिकाओं को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ:

विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ

बाल मजदूरी न कराने की अपील

गुड टच – बैड टच की जानकारी व आत्मरक्षा सुझाव

□ साइबर सुरक्षा जागरूकता (National Cyber Security Month Focus)

आमजन को निम्न साइबर जोखिमों से बचाव हेतु जागरूक किया गया:

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड

साइबर ठगी / बैंकिंग धोखाधड़ी

फ़ेक व फ्रॉड कॉल

अनचाहे / संदिग्ध लिंक

सोशल मीडिया सुरक्षा टिप्स

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

□ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

□ 108 – एंबुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

□ थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर — महिला सशक्तिकरण अभियान (मिशन शक्ति फेज 5.0)

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत एंटी रोमियो टीम, थाना देवबंद द्वारा क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान संचालित किया गया। टीम द्वारा मौके पर मौजूद महिलाओं, छात्राओं एवं आमजन को सुरक्षा एवं जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

□ मुख्य जागरूकता बिंदु

✓ □ सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएँ

विधवा पेंशन

मुख्यमंत्री सुमंगला योजना

बाल कल्याण योजनाएँ

✓ □ बाल मजदूरी न कराने की अपील

✓ □ गुड टच-बैड टच की जानकारी

✓ □ महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान से जुड़े अधिकार

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

□ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

□ 1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन

□ 108 – एंबुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

□ साइबर सुरक्षा जागरूकता

महिलाओं एवं बालिकाओं को निम्न साइबर धोखाधड़ियों से बचने के तरीके बताए गए—डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड साइबर फ्रॉड / ऑनलाइन ठगी फ्रेंक कॉल अनचाहे लिंक ओटीपी धोखाधड़ी

□ ♀ □ महिलाओं व बालिकाओं से संवाद

टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर महिलाओं की समस्याएँ सुनीं, छात्राओं को सुरक्षित यात्रा एवं ऑनलाइन सुरक्षा के उपाय बताए, क्षेत्र में आने-जाने वाले बालकों एवं पुरुषों से पूछताछ की गई तथा चेतावनी देकर छोड़ा गया।



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

□ थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर — महिला सशक्तिकरण अभियान (मिशन शक्ति फेज 5.0)

थाना फतेहपुर क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया। इस अभियान में महिला उपनिरीक्षक मिथिलेश राठौर, LHC नीरज, तथा होमगार्ड सुमित की टीम ने कस्बा छुटमलपुर, पंजाबी मार्केट, सब्जी मंडी, मुख्य बाजार छुटमलपुर, ग्राम नौसरखेड़ी, ग्राम जजनेर, प्राथमिक विद्यालय जजनेर एवं ग्राम रेडी में पहुँचकर बालिकाओं व महिलाओं को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की।

□ मुख्य जागरूकता बिंदु

✓ □ तीन नए कानून – B.N.S., B.N.S.S., B.S.A. के प्रावधान व प्रक्रिया

✓ □ महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े अपराधों की रोकथाम

✓ □ गुड टच – बैड टच की जानकारी

✓ □ बाल मजदूरी निषेध

✓ □ सरकारी योजनाओं की जानकारी

विधवा पेंशन

मुख्यमंत्री सुमंगला योजना

बाल कल्याण योजनाएँ

□ महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

□ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

□ 108 – एंबुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

□ साइबर जागरूकता

महिलाओं व बालिकाओं को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड साइबर ठगी फ़ेक कॉल अनचाहे लिंक से बचने के तरीके बताए गए और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

☐ थाना रामपुर मनिहारान — मिशन शक्ति फेज़ 5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान

थाना प्रभारी श्री राधेश्याम यादव के नेतृत्व में तथा एंटी रोमियो टीम प्रभारी SI देवेंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल नजमा द्वारा रेलवे स्टेशन, हाथी गेट, बस स्टैंड, इस्लामनगर रोड, दिल्ली-सहारनपुर रोड, संजय चौक, शहरी पुलिया, बड़गांव रोड व बैंकों आदि स्थानों पर आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।

☐ मुख्य बिंदु

- ✓ ☐ मिशन शक्ति फेज़ 5.0 के तहत जागरूकता
- ✓ ☐ डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड व साइबर क्राइम से बचाव
- ✓ ☐ सरकार की योजनाओं (विधवा पेंशन, सुमंगला, बाल कल्याण योजनाएँ) की जानकारी
- ✓ ☐ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा व संरक्षण से संबंधित सुझाव
- ✓ ☐ भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता व संवाद

☐ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

- ☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन
- ☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- ☐ 108 – एंबुलेंस सेवा
- ☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को पंपलेट भी वितरित किए गए तथा उन्हें सावधानी एवं आत्मरक्षा के उपाय बताए गए।



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

☐ महिला थाना, जनपद सहारनपुर — मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान

महिला थाना सहारनपुर की एंटी रोमियो टीम —उ0नि0 मुकेश कुमार, महिला हेड कां0 रीता, तथा महिला कां0 वर्षा द्वारा क्षेत्र के व्यस्त एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

टीम ने एसबीआई बैंक, शास्त्री नगर, बृजेश नगर, कपिल विहार, जनक नगर, पेपर मिल रोड, बड़ा पुल, सदर तिराहा, बाजोरिया रोड, दामोदरपुरी, खान आलमपुरा, चरण सिंह चौक, एसबीडी चौक, स्टेट बैंक कॉलोनी, राज विहार कॉलोनी, विश्वकर्मा चौक, गिल कॉलोनी, दारा शिवपुरी, चंद्रनगर, कोर्ट तिराहा, एसवीडी अस्पताल, रामलीला ग्राउंड, हकीकत नगर, कोर्ट रोड, सिविल लाइन चौक, सदर बाजार मार्केट, मिशन कंपाउंड आदि क्षेत्रों में जाकर महिलाओं व बालिकाओं से संवाद स्थापित किया।

☐ मुख्य जागरूकता बिंदु

✓☐ मिशन शक्ति फेज 5.0 के उद्देश्य

✓☐ डिजिटल अरेस्टिंग फ्रॉड से बचने के तरीके

✓☐ महिलाओं को अधिकार, सुरक्षा व संरक्षण संबंधी जानकारी

✓☐ सरकारी योजनाओं की जानकारी

विधवा पेंशन

सुमंगला योजना

बाल कल्याण योजनाएँ

✓☐ बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम

✓☐ स्कूली बच्चों को गुड टच – बैड टच की जानकारी

✓☐ साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपाय

☐ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☐ 1970 – बैंकिंग व वित्तीय शिकायत

☐ 112 – पुलिस इमरजेंसी

☐ 102 – स्वास्थ्य सेवा

☐ 108 – एंबुलेंस

☐ 181 – महिला हेल्पलाइन



दिनांक: 11.12.2025

-प्रेस नोट-

☐ थाना बेहट, जनपद सहारनपुर — मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान

थाना बेहट में निरीक्षक पंकज शर्मा, उपनिरीक्षक मनोरमा चौधरी, महिला कां0 रुबी, एवं महिला हेड कां0 ललिता द्वारा कस्बा बेहट में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु मिशन शक्ति फेज 5.0 तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।

☐ अभियान की मुख्य गतिविधियाँ

✓ ☐ महिलाओं व बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड व साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए गए

✓ ☐ सरकारी योजनाओं — विधवा पेंशन, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाओं — की जानकारी दी गई

✓ ☐ बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों व महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में विस्तृत जागरूकता

✓ ☐ टीम द्वारा पंपलेट वितरित कर सुरक्षा संदेश प्रसारित किए गए

☐ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

☐ ☒ क्षेत्रीय चेकिंग व सुरक्षा निरीक्षण

जगह-जगह बिना वजह खड़े लड़कों को चेतावनी देकर छोड़ा गया

बैंकों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना दर्ज किया गया